विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

को पुर:स्थापित किये गये रूप में .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१४

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द ''बीस से अधिक'' के स्थान पर, शब्द ''पचास से अधिक'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) इस अधिनियम में की कोई भी बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन ''सूक्ष्म उद्योग'' के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी:

परन्तु राज्य सरकार, किसी सूक्ष्म उद्योग सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्णरूप से वापस ले सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है.

धारा ८ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु जहां सरकार ने मानक स्थायी आदेशों में कोई संशोधन किया है, वहां उसे किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम को लागू स्थायी आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्यक्रूप से सम्मिलित कर लिया गया समझा जाएगा.''

धारा १७-ख का अंतस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपराधों का प्रशमन

''१७-ख. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो) कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् प्रशमन शुल्क के रूप में उतनी धनराशि, जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात् प्रशमन करा सकेगा; जब कि अपराध का प्रशमन—

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, किया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ५. (१) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ९ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में यह उपबंध है कि अधिनियम उन समस्त उपक्रमों पर लागू होगा जहां पिछले बारह मास के दौरान किसी दिन भी बीस कर्मकारों से अधिक कर्मकार कार्य कर रहे हैं. चूंकि, छोटी इकाईयां अधिनियम के अधीन उपबंधित की गई औपचारिकताएं सुनिश्चित करने में कठिनाइयां महसूस करती हैं, यह देखा गया है कि ऐसी इकाईयां या तो उपबंधों का अनुपालन ही नहीं करती हैं या तो अधिनियम के लागू होने से बचने के लिए अभिलेख पर नियोजित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या बीस से कम पर निर्बंधित कर देती हैं.

२. नियोजन के और अधिक नियमित प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और छोटी इकाइयों के नियोजकों को सुविधा देने की दृष्टि से ऊपर बीस कर्मकारों की सीमा को अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (क) का संशोधन करते हुए पचास कर्मकार किया जाना प्रस्तावित है और उसी प्रकार उपरोक्त कारणों से सूक्ष्म उद्योग को भी इस अधिनियम के उपबंधों से छूट दी जाना प्रस्तावित किया गया है. कर्मकारों के हित में राज्य सरकार ऐसी छूट की वापसी के उपबंध भी किए गए हैं.

३. यह भी अनुभव किया गया है कि राज्य सरकार जब भी मानक स्थाई आदेशों में कोई उपांतरण करती है, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि नियोजक कर्मकार से आपसी करार या समझौते या प्रमाणित अस्थाई आदेश की आड़ लेकर उसे नहीं अपनाते. अतएव, धारा ८ की उपधारा (३) में नया परन्तुक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है कि सरकार द्वारा मानक स्थाई आदेश में किए गए संशोधन किसी पंचाट, करार समझौते या प्रमाणित स्थाई आदेश में सम्यक रूप से समामेलित कर लिए गए समझे जाएंगे.

४. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के प्रशमन के उपबंध भी उपबंधों के भंग का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं. प्रशमन के संबंध में ऐसे किसी उपबंध के न होने के कारण, विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन प्रकरणों के कई मामले लंबित हैं जिससे सरकारी तंत्र और साथ ही कर्मकारों का बहुमूल्य समय इसमें लग जाता है. अतएव, कर्मकारों उपबंधों के भंग के अपराधों के मामलों में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशमन किए जाने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम में नई धारा १७-ख अंत:स्थापित की जाना प्रस्तावित है.

५. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, इस प्रयोजन के लिये मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ९ सन् २०१४) प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश को विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

६. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ५ दिसम्बर, २०१४

अंतर सिंह आर्य
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ के अन्तर्गत कर्मकारों द्वारा उपबंधों के भंग अपराधों के मामले में अधिकारियों द्वारा प्रशमन किये जाने हेतु राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

१. छोटी इकाईयों को अधिनियम के लागू होने से बचने के लिये, मानक स्थाई आदेशों में कोई उपांतरण होने पर प्रमाणित स्थाई आदेश में सम्यक रूप समामेलित करने तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के प्रशमन एवं त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिये यह अध्यादेश लाया गया था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ९ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) से उद्धरण

* * * * * * *

धारा २ अधिनियम का लागू होना.—(१) यह अधिनियम—

(क) प्रत्येक ऐसे उपक्रम को लागू होगा जिसमें कि कर्मचारियों की संख्या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी भी दिन या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन अथवा उसके पश्चात् किसी भी दिन बीस से अधिक थी या है; और

(ख) उपक्रमों के ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों को लागू होगा जिन्हें राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें:

परन्तु यह किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार या रेल प्रशासन या किसी खान या किसी तेल क्षेत्र के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन चलाया जाता हो.

(२) इस अधिनियम की कोई भी बात उपक्रम के ऐसे कर्मचारियों को लागू नहीं होगी जिनका कि फंडामेंटल एंड सम्पलीमेंटरी रूल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टेम्परेरी सर्विस) रूल्स रिवाईज्ड, लीव्ह रूल्स सिविल सर्विस रेग्यूलेशन अथवा कोई अन्य नियम या विनियम जो कि राज्य सरकार, द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किये जाय; लागू होते हों.

* * * * * * *

धारा ८ संशोधनों का प्रमाण.—(१) धारा ७ के अधीन प्राप्त होने पर, प्रमाणकर्ता अधिकरी उसकी एक प्रतिलिपि यथास्थिति कर्मचारियों के प्रतिनिधि या नियोजक को यह अपेक्षा करते हुए अग्रेषित करेगा कि यदि कोई आपत्तियां हों तो वे उस प्रतिलिपि के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर विहित रीति में उसका प्रस्तुत की जाए.

(२) दोनों पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्रमाणकर्ता अधिकारी यह विनिश्चित करेगा कि प्रारूप-संशोधन अथवा उनका कोई उपान्तरण या उनमें कोई परिवर्द्धन आवश्यक है अथवा नहीं और तद्नुसार लिखित आदेश करेगा:

परन्तु इस आशय का कि प्रारूप-संशोधन अथवा उनमें कोई उपान्तरण या परिवर्द्धन आवश्यक है, कोई आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि प्रमाणकर्ता अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऐसे संशोधन या उपान्तरण या परिवर्द्धन उचित या युक्तियुक्त हैं.

(३) यदि प्रमाणकर्ता अधिकारी पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन यह विनिश्चित करता है कि प्रारुप-संशोधन किन्हीं उपान्तरणों या परिवर्द्धनों के सहित या उनके बिना प्रमाणित किए जाय, तो वह संशोधन को ऐसे उपान्तरणों या परिवर्द्धनों, यदि कोई हों, के सहित प्रमाणित करेगा और उसके पश्चात् सात दिन के भीतर ऐसे संशोधनों की प्रमाणित प्रतिलिपियां नियोजक को तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि को भेजेगा.

* * * * * * *

धारा १७-क मामलों का संक्षिप्त निपटारा.—(१) धारा १७ की उपधारा (२) या (३) के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करने वाला श्रम न्यायालय, अभियुक्त व्यक्ति पर तामील किये जाने वाले सम्मन में यह प्रकट करेगा कि वह—

(क) अधिवक्ता द्वारा उपसंजात हो सकेगा न कि व्यक्तिश: या

(ख) आरोप की सुनवाई के पूर्व ऐसे दिनांक तक जो कि उल्लिखित हो, अभिस्वीकृति अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत द्वारा आरोप को स्वीकार कर सकेगा और श्रम न्यायालय को ऐसी धनराशि भेज सकेगा जिसे कि उक्त अपराध के लिये विहित जुर्माने की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, न्यायालय उल्लिखित करें.

(२) जहां अभियुक्त व्यक्ति उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार अपराध स्वीकार कर ले तथा धनराशि भेज दें, वहां उसके विरुद्ध अपराध के संबंध में लागे कोई कार्रवाई नहीं की जायगी.

(३) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात—

(क) धारा-१७ की उपधारा (२) तथा उपधारा (३) के खण्ड (बी) के अधीन निरन्तर अपराध को,

(ख) धारा १७ की उपधारा (३) के खंड (क) के अधीन पूर्व में सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्ति को,

लागू नहीं होगा.

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.